न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-44/2016, सी0आई0एस0 –169/2016
सी0एन0आर कमांक– BRSP01-001534-2016

FORM A

IN THE COURT OF SESSIONS JUDGE, SHEIKHPURA
DISTRICT- SHEIKHPURA,(BIHAR)
सत्र न्यायाधीश जिला–शेखपुरा,(बिहार)
पीठासीन न्यायाधीश – संतोष कुमार तिवारी
निर्णय की तिथि– 20–05–2026
सत्र प्रकरण कमांक-44/2016 सी0आई0एस0 –169/2016
सी0एन0आर कमांक– BRSP01-001534-2016

(थाना अरियरी के अपराध कमांक 39/14 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शेखपुरा द्वारा पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांक 30.04.2016 से उत्पन्न मामला)

अभियोजक	बिहार राज्य
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री उदय नारायण सिन्हा, लोक अभियोजक, शेखपुरा।
अभियुक्तगण का नाम	1. सतीश यादव, वल्द–बालेश्वर यादव, उम्र–44 वर्ष। 2. माधुरी देवी उर्फ माधुरी कुमारी, वल्द–बालेश्वर यादव, उम्र–29। 3. रीना देवी, वल्द–बालेश्वर यादव, उम्र–35। 4. बालेश्वर यादव , वल्द–हरबू यादव, उम्र–70। 5. ललित यादव, वल्द–बालेश्वर यादव, उम्र–32। 6. कारू यादव, वल्द–बालेश्वर यादव, उम्र–30। सभी सा0–वरूणा, थाना–बरबीघा (मिशन), जिला–शेखपुरा।
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता	श्री बनारसी प्रसाद यादव।

FORM B

घटना की तिथि	17.03.2014
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	19.03.2014
आरोप पत्र की तिथि	14.07.2014
आरोप गठन की तिथि	15.06.2016
साक्ष्य आरंभ की तिथि	08.07.2016
निर्णय निर्धारण की तिथि	06.05.2026
निर्णय की तिथि	20.05.2026
दंडादेश की तिथि, यदि कोई हो	––––––

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-44/2016, सी0आई0एस0 –169/2016
सी0एन0आर कमांक– BRSP01-001534-2016

अभियुक्तगण का विवरणः–

कम सं0	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर मुक्ति की तिथि	आरोपित धाराएँ	दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	आरोपित दंड	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य हेतु विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	सतीश यादव	22.03.2014	22.03.2014	धारा– 307 / 149, 323 / 149, 341 / 149, 504 / 149, एवं 384 / 149 भा0द0 स0	धारा– 323 / 149 भा0 द0 स0 के तहत दोषसिद्ध अन्य आरोपों के लिए दोषमुक्त	----	----
2.	माधुरी देवी उर्फ माधुरी कुमारी	22.03.2014	22.03.2014	धारा– 307 / 149, 323 / 149, 341 / 149, 504 / 149, एवं 384 / 149 भा0द0 स0	धारा– 323 / 149 भा0 द0 स0 के तहत दोषसिद्ध अन्य आरोपों के लिए दोषमुक्त		
3.	रीना देवी	22.03.2014	22.03.2014	धारा– 307 / 149, 323 / 149, 341 / 149, 504 / 149, एवं 384 / 149 भा0द0 स0	धारा– 323 / 149 भा0 द0 स0 के तहत दोषसिद्ध अन्य आरोपों के लिए दोषमुक्त		
4.	बालेश्वर यादव	22.03.2014	22.03.2014	धारा– 307 / 149, 323 / 149, 341 / 149, 504 / 149, एवं 384 / 149 भा0द0 स0	धारा– 323 / 149 भा0 द0 स0 के तहत दोषसिद्ध अन्य आरोपों के लिए दोषमुक्त		
5.	ललित यादव	22.03.2014	22.03.2014	धारा– 307 / 149, 323 / 149, 341 / 149, 504 / 149, एवं 384 / 149 भा0द0 स0	धारा– 323 / 149 भा0 द0 स0 के तहत दोषसिद्ध अन्य आरोपों के लिए दोषमुक्त		
6.	कारू यादव	22.03.2014	22.03.2014	धारा– 307 / 149, 341 / 149, 504 / 149, एवं 384 / 149 भा0द0 सं0	धारा– 323 / 149 भा0 द0 स0 के तहत दोषसिद्ध अन्य आरोपों के लिए दोषमुक्त		

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-44/2016, सी0आई0एस0 –169/2016
सी0एन0आर कमांक– BRSP01-001534-2016

निर्णय

(1). अभियुक्तगण सतीश कुमार, माधुरी देवी उर्फ माधुरी कुमारी, रीना देवी, बालेश्वर यादव, ललित यादव और कारू यादव का धारा–307/149, 323/149, 341/149, 504/149, एवं 384/149 भा0द0 स0 के तहत अपराध के आरोप के लिए विचारण किया गया।

(2). अभियोजन का कथानक संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.03.2014 को सूचक सत्येन्द्र कुमार द्वारा थाना अरियरी(कसार) में यह लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 17. 03.2014 को शाम करीब 05:00 बजे सूचक अपने दुकान महुली से अपने गॉव मोटरसाईकिल से जा रहा था। मोटरसाईकिल की डिक्की में दस हजार रूपये था वह अपनी बहन की शादी के लिए कपडा खरीदने के लिए ले जा रहा था। सूचक जब शिवनन्दन महतो के घर के निकट पहुॅचा तो वहॉ पर पहले से उपस्थित ललित यादव सूचक को हाथ देकर रूकने के लिए कहा और सूचक रूका। रूकते ही ललित यादव सूचक के मोटरसाईकिल का चाबी ले लिया और सूचक को गाली–गलौज करने लगा। सूचक गाली देने से मना किया तो सूचक के साथ मारपीट किया और डिक्की से दस हजार रूपये निकाल लिया। सूचक रूपये लेने से मना किया तो ललित यादव अपने भाई सतीश को बुलाया। सतीश यादव अपने हाथ में लिए राइफल को सूचक के सीने में सटा दिया और गाली देकर बोला कि तुम बहुत पैसे कमाते हो बिना पचास हजार रूपये रंगदारी दिए हुए महुली में दुकान नहीं चला सकते हो। सतीश यादव जान मारने के नियत से सूचक पर प्रहार किया, जिससे सूचक का सिर फट गया। उसी समय ललित यादव का भाई कारू यादव, उसके पिता बालेश्वर यादव, उसकी बहन रीना देवी और माधुरी देवी आकर उसे लात–जूता से मारने लगी। हल्ला सुनकर शिवनन्दन महतो, चन्द्रशेखर महतो और मनोज महतो आए उसके बाद सूचक जान बचाकर भागा। सूचक के साथ मोटर साईकिल पर उसके दुकान के स्टाफ सनोज कुमार और विक्की कुमार थे। इन दोनों के साथ भी अभियुक्तगण मारपीट किये।

सूचक की उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण सतीश कुमार, माधुरी देवी उर्फ माधुरी कुमारी, रीना देवी, बालेश्वर यादव, ललित यादव और कारू यादव के विरूद्ध थाना अरियरी के अपराध कमांक 39/2014 धारा–341,342,323,307,384,504 एवं 34 भा0द0सं0 के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

अन्वेषण के दौरान घटना स्थल निरीक्षण किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए और अन्वेषणोपरांत अन्वेषण अधिकारी द्वारा उपरोक्त सभी नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 341,342,323,307,384,504 एवं 34 भा0द0सं0 के तहत अनुमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट शेखपुरा, जिला–शेखपुरा न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.07.2014 को आरोप पत्र क्रमांक 39/2014 प्रस्तुत किया गया।

(3). उक्त आरोप पत्र के आधार पर दिनांक 30.04.2016 का अनुमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला शेखपुरा द्वारा अपराध का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण सतीश कुमार, माधुरी देवी उर्फ माधुरी कुमारी, रीना देवी, बालेश्वर यादव, ललित यादव और कारू यादव के विरूद्ध धारा–341,323,307,384,504 एवं 34 भा0द0सं0 भा0 द0 स0 के तहत अपराध के विचारण हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गयी और मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से दिनांक 30.04.2016 को पारित आदेश द्वारा मामलें को सत्र न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किया गया।

(4). अभियुक्तगण सतीश कुमार, माधुरी देवी उर्फ माधुरी कुमारी, रीना देवी, बालेश्वर यादव, ललित यादव और कारू यादव के विरूद्ध दिनांक 15.06.2016 को धारा–307/149, 323/149, 341/149, 504/149, एवं 384/149 भा0द0 स0 के अंतर्गत आरोप गठित कर उन्हें हिन्दी में पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण द्वारा सभी आरोपों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विचारण की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

(5). अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 12.09.2024 को इस सत्र विचारण के अभियुक्तगण सतीश कुमार, माधुरी देवी उर्फ माधुरी कुमारी, रीना देवी, बालेश्वर यादव, ललित यादव और कारू यादव का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण कर उनका कथन लेखबद्ध किया गया।

(6). इस प्रकार इस सत्र विचारण में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण सतीश कुमार, माधुरी देवी उर्फ माधुरी कुमारी, रीना देवी, बालेश्वर यादव, ललित यादव और कारू यादव के विरूद्ध आरोपित आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

<u>विनिश्चय Finding</u>

(7). इस सत्र विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल नौ अभियोजन साक्षियों, अभियोजन साक्षी

संख्या–01, शिवनन्दन महतो, अभियोजन साक्षी सं0–02, रमेश महतो, अभियोजन साक्षी संख्या–03, योगेन्द्र महतो, अभियोजन साक्षी संख्या–04, सत्येन्द्र कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–05, प्यारे यादव, अभियोजन साक्षी संख्या–06, सुनील कुमार उर्फ सुरेन्द्र महतो, अभियोजन साक्षी संख्या–07, विरेन्द्र कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–08, परवेश कुमार उर्फ पारस महतो और अभियोजन साक्षी संख्या–09, बलराम महतो का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया है, और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्राथमिकी पर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार के लिखावट एवं हस्ताक्षर को प्रदर्श–01, अग्रसारण प्रतिवेदन पर पु0अ0नि0 सुबोध कुमार के हस्ताक्षर को प्रदर्श–1/1, औपचारिकी प्राथमिकी पर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार के लिखावट एवं हस्ताक्षर को प्रदर्श–2 और आरोप पत्र को प्रदर्श–3 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित कराया गया है।

(8). **अभियोजन साक्षी संख्या–1 शिवनन्दन महतो** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि घटना आज से लगभग चार वर्ष पूर्व 05:00 से 05:30 बजे शाम की है। उस समय मैं अपने घर के पास था। सत्येन्द्र महतो मोटर साईकिल से आ रहा था। ललित यादव सत्येन्द्र का गाडी रोक दिया और सत्येन्द्र कुमार को लप्पड–थप्पड से मारने पीटने लगा। तभी ललीत यादव का भाई सतीश यादव राईफल ले कर आया। कारू यादव, ललीत यादव की बहन रीना देवी और माधुरी देवी भी आए और रायफल के नाला से मार दिए जो सत्येन्द्र कुमार के सिर पर लगा और सब लोग मारने लगे। मारने पर सत्येन्द्र महतो गिर गया। तब हमलोग वहां से हट गये तथा सत्येन्द्र को उठा कर ले गये। सभी अभियुक्तगण को पहचानता हूँ। आज न्यायालय में कारू यादव उपस्थित है, जिसे मैं पहचानता हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि मैं नहीं जानता हूँ कि सतीश यादव भी सूचक वगैरह पर केस किया है। ऐसी बात नहीं है कि नरेश महतो, सत्येन्द्र महतो सतीश कुमार की बहन के पैर पर मोटर साईकिल का चक्का चढा दिया था, उसी के चलते सतीश सत्येन्द्र महतो वगैरह पर केस किया है इस आशय का बयान मैं पुलिस में नहीं दिया था। घटना का तारीख, दिन याद नहीं है। घटनास्थल पर मेरे अलावे चन्द्रशेखर महतो और मनोज महतो भी थे और वहॉ पर रमेश महतो, जोगेन्द्र महतो कर्पूरी यादव और अन्य लोग थे, जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। मैं झगडा छुडाने की कोशिश किया था ।

(9). **अभियोजन साक्षी संख्या–02, रमेश महतो** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है

कि घटना दिनांक 17.03.2014 को समय छः बजे संध्या की है। उस समय शिवनन्दन के घर के बगल में मील के पास बैठा था, तो मैं देखा कि सत्येन्द्र कुमार महुली से अपना दुकान बन्द कर घर आ रहा था। सत्येन्द्र कुमार अपनी गाडी से शिवनन्दन के घर के पास पहुँचा तो सत्येन्द्र की गाडी को ललीत यादव रोक दिया तथा ललीत यादव सत्येन्द्र कुमार को गाली–गलौज करने लगा तथा मोटर साईकिल की चाभी छिनकर डिक्की से दस हजार रूपये ले लिया। उसके बाद ललीत यादव आपने भाई सतीश यादव को बुलाया। सतीश यादव आकर गाली–गलौज करने लगा और अपने छोटे भाई कारू पिता बालेश्वर यादव को बुलाया। उसके बाद सतीश यादव बन्दूक के कुन्दा से सत्येन्द्र के सिर पर प्रहार किया, जिससे सिर फट गया। शिवनन्दन महतो, मनोज और चन्द्रशेखर बैठे हुए थे दौडे तो अभियुक्तगण भाग गया था। रंगदारी में पचास हजार रूपये मांगते थे नहीं देने पर झगडा हुआ था। मैं सभी अभियुक्तगण को पहचानता हूँ। आज न्यायालय में बालेश्वर यादव उपस्थिति है, जिसे मैं पहचानता हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि सतीश यादव मेरे उपर भी केस किया है। सतीश यादव के केस में 8–9 अभियुक्तगण है, जिसमें नरेश महतो, रमेश महतो, योगन्द्र महतो, पारस महतो, सुनील महतो और वगैरह लोग नरेश महतो के घर के पास मौजूद थे। घटनास्थल की चौहद्दी में उत्तर में प्यारे यादव का बथान, दक्षिण में बुन्दी यादव का घर, पूरब में शिवनन्दन महतो का घर, पश्चिम में कचहरी परती जमीन बगल में अनिल का घर है। डिक्की से दस हजार रूपये ललित यादव निकाला था। सौ–सौ रूपये का दस हजार था अभियुक्तगण के खिलाफ एक भी रंगदारी का केस नहीं चला रहा है। अभियुक्तगण मुझको डांट दिये थे। सत्येन्द्र का ईलाज कहॉ हुआ, मुझे मालूम नहीं है। मैं सत्येन्द्र को नहीं उठाया था। पुलिस ने घटना के बारे में मुझसे पूछताछ नहीं किया था। ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की कोइ घटना नहीं घटी थी। ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्तगण सत्येन्द्र के साथ मारपीट नहीं किये है। ऐसी बात नहीं है कि अरियरी थाना काण्ड सं0 37/2014 से बचने के लिए झूठा केस किए है और मैं सत्येन्द्र का परिवार होने के कारण झूठा गवाही दिया हूँ।

(10). अभियोजन साक्षी संख्या–03, योगेन्द्र महतो ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि घटना आज से तीन–चार साल पूर्व होली के अग्जा के दिन समय 7 बजे शाम का था। उस समय शिवनन्दन महतो के घर के पास था। ललित यादव, सतीश यादव और बालेश्वर यादव

ये सभी सत्येन्द्र महतो के साथ बकझक कर रहे थे, इसके अलावे मैं कुछ नहीं देखा था तथा मैं वहॉ से चला आया था। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था।

इस साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति से उससे सूचक प्रश्न पूछे गए है, जिसमें इस साक्षी ने कहा है कि आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त सतीश को पहचानता हूॅ। शेष अभियुक्तगण को पहचानने का दावा करता हूॅ। अभियुक्त सतीश से अच्छा संबंध है। ऐसी बात नहीं है कि मैं पुलिस में बयान दिया था कि दिनांक 17.03.2014 को सत्येन्द्र कुमार अपने दुकान से घर लौट रहा था और जब वह शिवनन्दन महतो के घर के पीछे रोड पर पहुॅचा तो वहॉ मौजूद ललित यादव, सत्येन्द्र कुमार का मोटरसाईकिल रोक कर चाभी ले लिया और उसे फैट–मुक्का से मारा तथा डिक्की में रखे दस हजार रूपये निकाल लिया एवं विरोध करने पर अपने भाई सतीश को बुलाया और सतीश रायफल लेकर आया और सत्येन्द्र सीना में सटा दिया और कहा कि पचास हजार रंगदारी दो, तुम्हारा महुली में दुकान खूब चलती है। हल्ला पर ललित के पिता बालेश्वर यादव पहुंच गया और बलेश्वर यादव वगैरह लोग जान मारने की नियत से सूचक के सिर पर प्रहार किए, जिससे सत्येन्द्र का सिर फट गया। ऐसी बात नहीं है कि मैं अभियुक्तगण से मिल गया हूॅ, इसलिए सच्ची बात छिपा रहा हूॅ और झूठी गवाही दे रहा हूॅ।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि आज मैं न्यायालय में स्वेच्छा से गवाही दिया तथा बिना किसी के दबाव में दिया हूॅ। सभी अभियुक्तगण गॉव के है, इसलिए पहचानता हूॅ। ऐसी बात नहीं है कि सतीश यादव वगैरह के साथ मारपीट किया था, उसी केस से बचने के लिए झूठा केस किया हूॅ। ऐसी बात नहीं है कि जैसा मैं कहा वैसी कोई घटना नहीं घटी है। ऐसी बात नहीं है कि मैं झूठी गवाही दिया हूॅ।

(11). अभियोजन साक्षी संख्या–04, सत्येन्द्र कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 18.03.2014 को सत्येन्द्र कुमार पे0 बनारस महतो साकिन– बरूना थाना अरियरी के द्वारा एक लिखित आवेदन अतिरिक्त थाना कसार में दिया गया, जिसे रजिस्ट्रेशन हेतु अरियरी थाना भेजा गया। अरियरी थाना के थानाध्यक्ष सुबोध कुमार के द्वारा उक्त आवेदन को रजिस्टर्ड किया गया, जिसका अरियरी (कसार) थाना केस नं0–39/2014 दिनांक 19.03.2014 धारा–341,342,323,307,384 एवं 504/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया। उक्त रजिस्ट्रेशन अरियरी थाना के थानाध्यक्ष सुबोध कुमार के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं

पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श–1 अंकित किया जाता है।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि उक्त अरियरी (कसार) थाना केस नं0–39/2014 का रजिस्ट्रेशन मेरे सामने नहीं हुआ था। अरियरी थाना के थानाध्यक्ष सुबोध कुमार के साथ काम करने का मौका मुझे नहीं मिला था। थानाध्यक्ष सुबोध कुमार को मैं पढते–लिखते देखा था, इसलिए उनके हस्ताक्षर को पहचानता हूँ।

(12). अभियोजन साक्षी संख्या–05, प्यारे यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि घटना के समय मैं गॉव पर नहीं था, जब मैं गॉव आया तब मुझे घटना के बारे में पता चला। घटना आज से करीब 8–9 वर्ष पहले हुआ था। मुझे पता चला कि सत्येन्द्र और बालेश्वर में झगडा हुआ था। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था।

इस साक्षी द्वारा अभियोजन मामलो का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति से उससे सूचक प्रश्न पूछे गए है, जिसमें इस साक्षी ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं पुलिस को बयान दिया था कि दिनांक 17.03.2014 को सत्येन्द्र कुमार अपने दुकान से घर लौट रहा था जब वह शिवनन्दन के घर के पीछे रोड पर पहॅुचा तो वहॉ मौजूद ललीत यादव, सत्येन्द्र कुमार का मोटर साईकिल रोक कर चाभी ले लिया और उसे फैट–मुक्का से मारा तथा डिक्की में रखे दस हजार रूपये निकाल लिया, इसका विरोध करने पर अपने भाई सतीश को बुलाया और सतीश रायफल लेकर आया और सत्येन्द्र के सीने में सटा दिया और कहा कि पचास हजार रूपये रंगदारी दो तुम्हारी महुली में दुकान खूब चलती है। हल्ला पर ललीत के पिता बालेश्वर यादव पहुंच गये और बालेश्वर यादव वगैरह मिलकर जान मारने की नियत से मारे, जिससे सत्येन्द्र का सिर फट गया। ऐसी बात नहीं है कि मैं अभियुक्तगण से मिल गया हूँ, इसलिए सच्ची बात छिपा रहा हूँ और झूठी गवाही दे रहा हूँ। आज न्यायालय में अभियुक्त कारू उपस्थित है, जिसे मैं पहचानता हूँ अन्य अभियुक्तगण उपस्थित रहते तो उसे भी पहचान लेता।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि अभियुक्तगण मेरे गॉव के है, इसलिए मैं पहचानता हूँ। मैं आज न्यायालय में स्वेच्छा से गवाही दिया हूँ।

(13). अभियोजन साक्षी संख्या–06, सुनील कुमार उर्फ सुरेन्द्र महतो ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि घटना की तारीख व समय याद नहीं है। वर्ष 2014 के होली के समय

की घटना है। उस समय मैं गॉव में नहीं था, मैं पटना में था। गॉव में झगडा हुआ था। मैंने सुना था कि बालेश्वर यादव, सतीश यादव, कारू यादव, ललित यादव एवं उनकी बहन नाम याद नहीं मिलकर सत्येन्द्र और विरेन्द्र को मारे थे। मैंने सुना था अभियुक्त सतीश ने सत्येन्द्र को मारा था। सभी अभियुक्तों को पहचानता हूॅ, वे लोग मेरे गॉव के है। आज न्यायालय में सतीश यादव उपस्थित है।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि घटना होते हुए मैंने नहीं देखा। मेरा अभियुक्तों के साथ समझौता हो गया है। आज स्वेच्छा से अपना साक्ष्य दिया हूॅ, अभियुक्तगण ग्रामीण है, इसलिए मैं पहचानता हूॅ।

(14). अभियोजन साक्षी संख्या–07, विरेन्द्र कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि वर्ष 2014 की होली की दिन की घटना है। सत्येन्द्र कुमार का सतीश से झगडा हुआ था। मैं सभी अभियुक्तों को पहचानता हूॅ। सभी अभियुक्तगण मेरे गॉव के है। आज न्यायालय में सतीश यादव उपस्थित है।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि घटना होते हुए मैंने नहीं देखा। मेरा अभियुक्तों के साथ समझौता हो गया है। आज स्वेच्छा से अपना साक्ष्य दिया है, अभियुक्त ग्रामीण है, इसलिए मैं पहचानता हूॅ।

(15). अभियोजन साक्षी संख्या–08, परवेश कुमार उर्फ पारस महतो ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि घटना होली के दिन वर्ष 2014 की है। सत्येन्द्र कुमार का सतीश कुमार से झगडा हुआ था। मैं सभी अभियुक्तों को पहचानता हूॅ। सभी अभियुक्तगण मेरे गॉव के है। आज न्यायालय में सतीश यादव उपस्थित है।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि घटना होते हुए मैंने नहीं देखा। मेरा अभियुक्तों के साथ समझौता हो गया है। आज मैं स्वेच्छा से अपना साक्ष्य दिया हूॅ, अभियुक्तगण ग्रामीण है, इसलिए मैं उन्हें पहचानता हूॅ।

(16). अभियोजन साक्षी संख्या–09, बालराम प्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक 19.03.2014 को मैं सहायक थाना कसार में पु0 अ0 नि0 के पद पर पदस्थापित था। उस दिन अरयरी थाना के थानाध्यक्ष सुबोध कुमार द्वारा अरयरी कसार थाना कांड सं0 39/2014 का अनुसंधान भार दिया गया। उक्त केस सत्येन्द्र कुमार के द्वारा दिये गये लिखित आवेदन

सहायक थाना कसार में दिया गया, जिसे मेरे द्वारा केस दर्ज करने के लिए अरयरी थाना अग्रसारित कर दिया गया, उक्त अग्रसारित प्रतिवेदन मेरे लिखावट व हस्ताक्षर में है, इसे पहचानता हूँ, प्रदर्श–1/1 अंकित किया जाता है। इस वाद का औपचारिक प्राथमिकी अरयरी थानाध्यक्ष सुबोध कुमार के लिखावट व हस्ताक्षर में है, इसे पहचानता हूँ, प्रदर्श–2 अंकित किया जाता है। अनुसंधान का भार मुझे सौंपा गया, अनुसंधान ग्रहण कर प्राथमिकी का अवलोकन कर केस दैनिकी में अंकित किया गया। इस कांड का घटनास्थल ग्राम वरूणा स्थित शिवनंदन महतो के घर के पीछे ग्रामीण पी0 सी0 सी0 रोड पर बताया जाता है। इसकी चौहदी है– उत्तर में प्यारे यादव का गौशाला, दक्षिण में बूंदी यादव का सहन (परती) जमीन है, पूरब में प्यारे यादव एवं शिवनंदन महतो का घर है, पश्चिम में रोड के किनारे बिजली का पोल व पोल बाद ग्राम कचहरी का सहन (परती) जमीन है। घटना स्थल पर ही गवाह प्यारे यादव, शिवनंदन महतो का बयान अंकित किया। वादी सत्येन्द्र कुमार का पुर्नबयान अंकित किये। साक्षी विरेन्द्र महतो, नरेश महतो, का बयान अंकित किया। पुलिस निरीक्षक महोदय का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त हुआ, इसे केस दैनिकी में अंकित किये। इसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय का आदेश प्राप्त किये कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित करें। अपने किये गये अनुसंधान का अवलोकन किया, सभी बिन्दुओं पर अनुसंधान पूर्ण पाया, वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में धारा 341, 342, 323, 384, 504,/34 भा0 द0 वि0 के तहत कांड के अभियुक्त ललित यादव, सतीश यादव, कारू यादव, रीना देवी, माधुरी कुमारी, बालेश्वर यादव के विरूद्ध घटना को सत्य पाते हुए उनके विरूद्ध आरोप पत्र सं0 59/2014 दिनांक 05.07.2014 न्यायालय में समर्पित किये। आरोप पत्र मेरे लिखावट व हस्ताक्षर में है, इसे पहचानता हूँ, साक्षी के पहचान इसे प्रदर्श –3 अंकित किया जाता है।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि साक्षी प्यारे यादव और शिवनंदन महतो, का बयान मैंने नहीं लिया। ऐसी बात नहीं है कि योगेन्द्र महतो, सत्येन्द्र कुमार, सुनील कुमार, विरेन्द्र कुमार और प्रवेश कुमार का बयान मैंने नहीं लिया। ऐसी बात नहीं है कि मैंने घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया, तथा गवाहों का बयान भी नहीं लिया। ऐसी बात नहीं है कि मैंने सिर्फ थाना पर बैठकर डायरी लिखा है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा अनुसंधान त्रूटिपूर्ण है, और जैसा अनुसंधान मैंने किया, वैसी कोई घटना नहीं घटी।

(17). उपरोक्त साक्ष्यों के प्रकाश में यह तथ्य विचारणीय है कि सभी अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप उचित संदेह से परे साबित हुए है या नहीं।

(18). विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क/बहस के दौरान यह निवेदन किया गया कि इस मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों में से अभियोजन साक्षी संख्या–01 शिवनन्दन महतो, अभियोजन साक्षी संख्या–2 रमेश महतो, अभियोजन साक्षी संख्या–4 सत्येन्द्र कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–6 सुनील कुमार उर्फ सुरेन्द्र महतो, अभियोजन साक्षी संख्या–7 विरेन्द्र कुमार और अभियोजन साक्षी संख्या–8 परवेश कुमार उर्फ पारस महतो इन सभी साक्षियों द्वारा अभियोजन मामले का पूर्ण समर्थन किया गया है तथा इनके साक्ष्य का सम्पुष्टि मामले के अन्वेषण अधिकारी अभियोजन साक्षी संख्या–9 बालराम प्रसाद के साक्ष्य से हो रहा है।

इन सभी साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित अपराधों को साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

उपरोक्त आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा विचाराधीन सभी अभियुक्तों को सभी आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया है।

(19). बचाव पक्ष/अभियुक्तों के अधिवक्ता द्वारा तर्क/बहस के दौरान यह निवेदन किया गया है कि इस मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों में से अभियोजन साक्षी संख्या–3 योगेन्द्र महतो एवं अभियोजन साक्षी संख्या–5 प्यारे यादव द्वारा अपने साक्ष्य के दौरान अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष मामले के सूचक और एकमात्र आहत का परीक्षण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने में विफल रहा है।

यद्यपि कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान की गई कार्यवाहियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, किन्तु मामले को प्रमाणित करने हेतु केवल अन्वेषण अधिकारी का साक्ष्य पर्याप्त नहीं है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित किसी भी अपराध को साबित में असफल रहा है।

उपरोक्त आधार पर अभियुक्तों के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तों को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त करने का निवेदन किया गया।

(20). उभयपक्ष की तरफ से किए गए उपरोक्त तर्क/बहस के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है।

(21). इस मामले में विचाराधीन अभियुक्तों के विरूद्ध इस मामले के सूचक/आहत सत्येन्द्र कुमार को मारपीट कर हत्या का प्रयास करने और उससे पचास हजार रूपये की मांग का आरोप है और इस आरोप को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा कुल नौ साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, जिनमें से अभियोजन साक्षी संख्या–1 शिवनन्दन महतो एवं अभियोजन साक्षी संख्या–2 रमेश महतो घटना का स्वतंत्र एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। अभियोजन साक्षी संख्या–3 योगेन्द्र महतो, अभियोजन साक्षी संख्या–5 प्यारे यादव, अभियोजन साक्षी संख्या–6 सुनील कुमार उर्फ सुरेन्द्र महतो, अभियोजन साक्षी संख्या–7 विरेन्द्र कुमार एवं अभियोजन साक्षी संख्या–8 परवेश कुमार उर्फ पारस महतो स्वतंत्र ग्रामीण साक्षी है और अभियोजन साक्षी संख्या–9 बालराम प्रसाद अन्वेषण से जुडे अधिकारी है।

अभियोजन साक्षी संख्या–5 प्यारे यादव द्वारा मुख्य परीक्षण में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि घटना के समय वह गॉव में नहीं था जब गॉव आया तो उसे घटना के बारे में पता चला कि सत्येन्द्र महतो और बालेश्वर में झगडा हुआ था

इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–6 सुनील कुमार उर्फ सुरेन्द्र महतो द्वारा न्यायालयीन परीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकट किया गया है कि वर्ष 2014 में होली के समय की घटना है उस समय यह साक्षी पटना में था सुना कि बालेश्वर यादव, कारू यादव, ललित यादव और उसकी बहन सब मिलकर मारपीट किए थे।

अभियोजन साक्षी संख्या–7 विरेन्द्र कुमार द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि घटना वर्ष 2014 के होली के दिन का है। सत्येन्द्र और सतीश के बीच झगडा हुआ था किन्तु यह साक्षी घटना को देखा नहीं था।

अभियोजन साक्षी संख्या–8 परवेश कुमार उर्फ पारस महतो द्वारा भी अभियोजन साक्षी संख्या–7 के साक्ष्य के अनुरूप तथ्य प्रकट करते हुए सतीश और सत्येन्द्र के मध्य झगडा होने का तथ्य प्रकट किया गया है किन्तु यह कहा गया है कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है।

अभियोजन साक्षी संख्या–3 योगेन्द्र महतो द्वारा मुख्य परीक्षण में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि घटना होली के समय शाम 07:00 बजे घटित हुई थी जब यह साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या–1 शिवनन्दन महतो के घर के पास खडा था उसी समय ललीत यादव, सतीश यादव और

बालेश्वर यादव ये सभी सत्येन्द्र महतो के साथ बकझक कर रहे थे।

इन सभी साक्षियों द्वारा प्रकट किए गए उपरोक्त तथ्य को प्रतिपरीक्षण में अभियुक्तों की ओर से कोई चुनाती नहीं दी गई।

इस प्रकार इन साक्षियों के न्यायालयीन साक्ष्य से अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित विशिष्ठ अपराधों के संबंध में कोई ठोस निर्णायक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं हुआ है।

किन्तु इन साक्षियों के साक्ष्य से प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रमाणित हो रहा है कि उभयपक्षों के मध्य होली के अवसर पर आपसी विवाद हुआ था।

अभियोजन साक्षी संख्या–1 शिवनन्दन महतो द्वारा मुख्य परीक्षण में यह तथ्य प्रकट किया है कि घटना शाम 05:00–05:30 बजे के लगभग घटित हुई थी। उस समय यह साक्षी अपने घर के पास था। सत्येन्द्र महतो मोटरसाईकिल से जा रहा था उसके मोटरसाईकिल को रोक दिया और लप्पड–थप्पड से मारपीट करने लगा उसी समय ललीत यादव का भाई सतीश एवं अन्य अभियुक्तगण कारू यादव, रीना देवी और माधुरी देवी भी मौके पर पहॅुचे। इन सब ने सत्येन्द्र के साथ मारपीट किये। मारपीट से सत्येन्द्र महतो गिर गया।

इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–2 रमेश महतो द्वारा यह तथ्य प्रकट किया गया है कि घटना 17.03.2014 को शाम 06:00 बजे लगभग घटित हुई थी उस समय यह साक्षी शिवनन्दन के धर के पास बैठा था उसने देखा कि सत्येन्द्र वापस घर जा रहा था। सत्येन्द्र जैसे ही शिवनन्दन के घर के पास पहॅुचा ललीत यादव उसकी मोटरसाईकिल रोक दिया और गाली–गलौज करने लगा और उसकी मोटरसाईकिल के चाबी से डिक्की खोलकर दस हजार रूपये ले लिया। उसके बाद उसके भाई सतीश यादव और बालेश्वर यादव आए और सत्येन्द्र यादव के साथ मारपीट किये।

प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियुक्तों द्वारा आहत सत्येन्द्र के साथ मारपीट किए जाने के संबंध में इन साक्षियों द्वारा मुख्य परीक्षण के दौरान प्रकट किए गए तथ्य अखंडित रहे है।

इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संख्या–1 शिवनन्दन महतो और अभियोजन साक्षी संख्या–2 रमेश महतो के साक्ष्य से अभियुक्तों द्वारा सूचक सत्येन्द्र की मोटरसाईकिल को रोक कर उसके साथ मारपीट करने का तथ्य अखंडित रूप से अभिलेख पर प्रमाणित हो रहा है।

ऐसी दशा में यह तथ्य विचारणीय है कि क्या अभियुक्तों द्वारा पहुॅचाई गई चोट की प्रकृति क्या है, उक्त चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी व्यक्ति के मृत्यु के लिए पर्याप्त है।

इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है। चोटो की प्रकृति को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा आहत साक्षी के चिकित्सा करने वाले चिकित्सक साक्षी का न्यायालय के समक्ष परीक्षण नहीं कराया गया है।

ऐसी दशा में यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो पाया है कि आहत सत्येन्द्र को आई चोटे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम किसी व्यक्ति के लिए पर्याप्त है।

अभियोजन के कथानक के आलोक अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आवलोकन से यह तथ्य भली–भॅाति स्थापित हो रहा है कि अभियुक्तों का आशय आहत सत्येन्द्र कुमार की हत्या का न होकर केवल चोट पहुॅचाने का था।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष हत्या के प्रयास के तथ्य को प्रमाणित करने हेतु विचारण के दौरान अभिलेख पर किसी भी प्रकार का सामग्री लाने में पूर्णतः विफल रहा है।

इसी प्रकार अन्य आरोपित अपराध धारा–341 / 149, 504 / 149 एवं धारा–384 / 149 के अवश्यक तत्वों को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन पक्ष किसी भी प्रकार का साक्ष्य या सामग्री अभिलेख पर लाने में पूर्णत विफल रहा है।

परन्तु अभियोजन साक्षी संख्या–1 शिवनन्दन महतो और अभियोजन साक्षी संख्या–2 रमेश महतो के साक्ष्यों का समर्थन अन्वेषण अधिकारी अभियोजन साक्षी संख्या–09 बालराम प्रसाद के साक्ष्य से हो रहा है।

परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन पक्ष घटनास्थल पर अभियुक्तों द्वारा सूचक सत्येन्द्र कुमार को मारपीट कर साधारण चोट पहुचाए जाने का तथ्य साबित करने पूर्णतः सफल रहा है।

यद्यपि कि अभियोजन पक्ष आहत सत्येन्द्र कुमार का भी न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराने में विफल रहा है।

परन्तु इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में सूचक / आहत का न्यायालय के समक्ष

परीक्षण कराने में विफलता अभियोजन पक्ष के लिए घातक प्रकट नहीं हो रहा है।

सुस्थापित विधि सिद्धांत के अनुसार हर मामले में आहत/सूचक का परीक्षण न होना अभियोजन मामले के प्रतिकुल नहीं जाता है, यदि मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति से यथेष्ठ रूप से अभियुक्तों द्वारा किया गया कार्य प्रमाणित हो, उस दशा में धारा–114 (G) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अभियोजन मामले के विरूद्ध आहत/सूचक के परीक्षण न होने के तथ्य से किसी प्रकार की प्रतिकुल उपधारणा नहीं किया जा सकता है।

इस मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियोजन साक्षी संख्या–1 शिवनन्दन महतो और अभियोजन साक्षी संख्या–2 रमेश महतो के अखंडित साक्ष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि इस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में अभियोजन की तरफ से आहत सत्येन्द्र का परीक्षण न कराया जाना अभियोजन साक्षी संख्या–1 शिवनन्दन महतो एवं अभियोजन साक्षी संख्या–2 रमेश महतो के साक्ष्य को अविश्वास किए जाने का कोई आधार प्रकट नहीं कर रहा है।

इस प्रकार अभिलेख पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी समाग्री या साक्ष्य के विवेचना से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि अभियोजन पक्ष इस मामले में अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित अपराधों में से मात्र धारा–323/149 भा0द0सं0 का अपराध साबित करने में सफल रहा है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपित अन्य अपराधों को प्रमाणित नहीं कर पाया है।

परिणामस्वरूप अभियुक्तगण सतीश कुमार, माधुरी देवी, रीना देवी, बालेश्वर यादव, ललित यादव और कारू यादव को धारा–341/149, 307/149, 384/149 एवं 504/149 भा0द0सं0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

परन्तु अभियुक्तगण सतीश कुमार, माधुरी देवी उर्फ माधुरी कुमारी, रीना देवी, बालेश्वर यादव, ललित यादव और कारू यादव को धारा–323/149 भा0द0सं0 के अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित सभी दोषसिद्ध अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर मुक्त है, दोषसिद्धी के परिणामस्वरूप इनके जमानत बंधपत्र विखंडित कर इनको न्यायिक अभिरक्षा में लिया

जाता है और इन्हें तथा इनके जमानतदारों को जमानत बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु मामला आज द्वितीय पाली के 11:00 बजे नियत किया जाता है।

(संतोष कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला– शेखपुरा।
दिनांक 20.05.2026

(संतोष कुमार तिवारी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला– शेखपुरा।
दिनांक 20.05.2026

<u>पश्चात–</u>
20.05.2026
11:00 बजे

(22). पश्चात दिनांक 20.05.2026 दिन के 11:00 बजे दण्ड के विषय पर सुनवाई हेतु अभिलेख प्रस्तुत हुआ।

(23). दण्ड के बिन्दु पर लोक अभियोजक एवं दोषसिद्ध सतीश कुमार, माधुरी देवी उर्फ माधुरी कुमारी, रीना देवी, बालेश्वर यादव, ललित यादव और कारू यादव के अधिवक्ता श्री बनारसी प्रसाद यादव को सुना गया।

दोषसिद्ध सतीश कुमार, माधुरी देवी उर्फ माधुरी कुमारी, रीना देवी, बालेश्वर यादव, ललित यादव और कारू यादव के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि यह उनका प्रथम अपराध है।

दोषसिद्ध माधुरी देवी उर्फ माधुरी कुमारी और रीना देवी महिला है और अन्य चार दोषसिद्ध सतीश कुमार, बालेश्वर यादव, ललित यादव और कारू यादव अपने घर के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति है, जिनके जेल चल जाने की दशा में उनके पूरे परिवार की आजीविका प्रभावित होने की संभवना है।

उपरोक्त आधारों पर दोषसिद्ध के अधिवक्ता द्वारा दोषसिद्ध सतीश कुमार, माधुरी देवी उर्फ माधुरी कुमारी, रीना देवी, बालेश्वर यादव, ललित यादव और कारू यादव को विधि द्वारा विहित न्यूनतम दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया गया।

दूसरी तरफ लोक अभियोजक द्वारा यह तथ्य प्रकट किया गया है कि अभियोजन पक्ष के पास इन दोषसिद्ध व्यक्तियों की पूर्व दोषसिद्धी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में यह उनकी प्रथम दोषसिद्धी मानी जा सकती है, यह कहते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा दोषसिद्ध व्यक्तियों के उम्र एवं अन्य परिस्थितियों तथा इनके प्रथम अपराध को ध्यान में रखते हुए उचित प्रतित होने वाले दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष का सुना।

अभिलेख का पुनः परिशीलन करते हुए वैधानिक प्रवधानों का अवलोकन किया गया।

घोषित निर्णय के अनुसार अभियुक्तगण सतीश कुमार, माधुरी देवी उर्फ माधुरी कुमारी, रीना देवी, बालेश्वर यादव, ललित यादव और कारू यादव को धारा–323/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

धारा– 323/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्धी के मामले में दोषसिद्ध को अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक के कारावास के दंड से या 1000/रू0 तक के अर्थदंड या उक्त दोनों प्रकार के दंड से दण्डित किया जा सकता है।

सतीश कुमार, माधुरी देवी उर्फ माधुरी कुमारी, रीना देवी, बालेश्वर यादव, ललित यादव और कारू यादव की पूर्व दोषसिद्धी अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं की गयी है।

ऐसी दशा में यह उपधारणा किए जाने का पर्याप्त आधार है कि यह उनकी प्रथम दोषसिद्धी है और ये अपने परिवार की आजीविका चलाने वाले एकमात्र व्यक्ति है जिनके जेल चले जाने से इनका पूरा परिवार प्रभावित होने की संभावना है। दोषसिद्ध रीना देवी और माधुरी देवी उर्फ माधुरी कुमारी महिला है, इन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत अत्यंत साधारण प्रकृति के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-44/2016, सी0आई0एस0 –169/2016
सी0एन0आर कमांक– BRSP01-001534-2016

अतः इन्हें धारा–323/149 भा0द0सं0 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कारावास का दंड दिया जाना उचित प्रतित नहीं हो रहा है।

परिणामस्वरूप धारा–323/149 भा0द0सं0 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक दोषसिद्ध को 100 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के भुगतान में असफलता की दशा में दोषसिद्ध सतीश कुमार, माधुरी देवी उर्फ माधुरी कुमारी, रीना देवी, बालेश्वर यादव, ललिता यादव और कारू यादव को सात दिन का साधारण कारावास भुगताया जाएगा

FORM-C

अभियोजन/बचाव / न्यायालय साक्षियों की सूची

ए.अभियोजन

क्रम सं0	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभि0 सा0 सं0 1	शिवनन्दन महतो	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 2	रमेश महतो	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 3	योगेन्द्र महतो	अन्वेषणकर्ता अधिकारी
अभि0 सा0 सं0 4	सत्येन्द्र कुमार	अन्य साक्षी
अभि0 सा0 सं0 5	प्यारे यादव	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 6	सुनील कुमार उर्फ सुरेन्द्र महतो	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 7	विरेन्द्र कुमार	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 8	परवेश कुमार उर्फ पारस महतो	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभि0 सा0 सं0 9	बलराम महतो	अन्वेषणकर्ता अधिकारी

बी.बचाव साक्षी, यदि हो तो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति)चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
–	–	–

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण कमांक-44/2016, सी0आई0एस0 –169/2016
सी0एन0आर कमांक– BRSP01-001534-2016

सी.न्यायालय साक्षी, यदि हो तो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति) चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
–	–	–

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्शों की सूची

ए.अभियोजन

कम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	P1/P.W4	प्राथमिकी पर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार का लिखावट एवं हस्ताक्षर
2.	P1/1/P.W9	अग्रसारण प्रतिवेदन पर पु0अ0नि0 सुबोध कुमार का हस्ताक्षर
3.	P2/P.W9	औपचारिकी प्राथमिकी पर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार के लिखावट एवं हस्ताक्षर
4	P3/P.W9	आरोप पत्र

बी. बचाव पक्ष

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1		

सी. न्यायालय प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण (जांच पंचनामा / ज्ञापन, बरामदगी पंचनामा / ज्ञापन, गिरफ्फतारी ज्ञापन, पोस्मार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, अन्य साक्ष्य	प्रमाणित / सत्यापित
–	–	–	–

डी. वस्तु प्रदर्श

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा
पीठासीन न्यायाधीश– संतोष कुमार तिवारी
सत्र प्रकरण क्रमांक-44/2016, सी0आई0एस0 –169/2016
सी0एन0आर क्रमांक– BRSP01-001534-2016

क्रमांक	वस्तु प्रदर्श संख्या	विवरण अपराध का हथियार, आरोपी / पीडित के वस्त्र, मोबाईल फोन / इलेक्ट्रॉनिक वस्तु / वाहन, पर्स / कान की बालियॉ / पहचान पत्र, अन्य वस्तुऍ	प्रमाणित / सत्यापित
–	–	–	–

लेखापित

संतोष कुमार तिवारी
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेखपुरा
दिनांक–20.05.2026

Date of Judgment/order	20.05.2026
Date of Reserving Judgment/order	06.05.2026
Uploading Date	03.06.2026
Uploaded by	Sangeeta Kumari (stenographer)